छत्तीसगढ़ शासन
स्कूल शिक्षा विभाग
//मंत्रालय//

महानदी भवन, नवा रायपुर, अटल नगर
जिला रायपुर-492002
cg.school.edu.dept@gmail.com

//संशोधन आदेश//

नवा रायपुर, दिनांक 09/09/2022

क्रमांक एफ 2–39/2019/20–दो :: विभागीय समसंख्यक आदेश दिनांक 13/11/2019 द्वारा समस्त संभागीय संयुक्त संचालक, शिक्षा कार्यालयों को प्रशासनिक आधार पर सरल कमांक–30 एवं 31 में निम्नानुसार अधिकार एवं दायित्व सौपे गये है :–

कमांक	प्रकार	अधिकार/दायित्व	विवरण
30	प्रशासकीय	विभागीय मान्यता प्रदान करना।	01. हाईस्कूल एवं उच्चतर माध्या. शाला के संबंध में संपूर्ण अधिकार। 02. कक्षा 1 से 12 के विद्यालय के लिए एक साथ मान्यता के प्रकरण में जिला शिक्षा अधिकारी से अनापत्ति प्रमाण–पत्र के पश्चात् एक साथ अनुमति प्रदान करना।
31.	प्रशासकीय	अशासकीय संस्थाओं में नई या अतिरिक्त कक्षायें या सेक्शन खोलने के संबंध में।	अशासकीय हाई स्कूल एवं उच्चतर माध्यमिक शालाओं के मामले में संपूर्ण अधिकार ।

2/ राज्य शासन एतद्द्वारा उपरोक्त कंडिका–30 एवं कंडिका–31 में समस्त संभागीय संयुक्त संचालक, शिक्षा कार्यालयों को सौपे गये अधिकार एवं दायित्व को पूर्व के अनुसार जिला शिक्षा अधिकारियों को पुनः प्रत्यायोजित करता है तथा हाईस्कूल एवं उच्चतर माध्यमिक शालाओं के नवीनीकरण हेतु शासन की विभागीय अनुमति की आवश्यकता नहीं होगी अर्थात हाईस्कूल एवं उच्चतर माध्यमिक नवीन शाला खोलने हेतु प्रथम बार विभागीय अनुमति की आवश्यकता होगी। नवीनीकरण हेतु छत्तीसगढ़ माध्यमिक शिक्षा मण्डल को अधिकृत किया जाता है।

3/ शेष अधिकार एवं दायित्व यथावत रहेगें।

छत्तीसगढ के राज्यपाल के नाम से
तथा आदेशानुसार

09/9/22

(आर.पी. वर्मा)
अवर सचिव
छत्तीसगढ़ शासन, स्कूल शिक्षा विभाग

...2

Order Tiwari